

अन्तिम डिक्री  
न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 157 / 2016

- 1 जगसीर सिंह उम्र वर्ष पुत्र मूरा सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 जसवीर सिंह उम्र वर्ष पुत्र मूरा सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

नाम

- 1 बोहड़ सिंह पुत्र साधु सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 गुरतेज सिंह पुत्र साधु सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 भोला सिंह पुत्र साधु सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 4 बहादुर सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 5 तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88.53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबलु हमारे बहाजरी श्री राकेश सिहाग वकील वादीगण व श्री मेजर सिंह वकील प्रतिवादीगण पेश होकर किया जाता है व वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि (क) चक 7 बी एन डब्ल्यू खाता संख्या 26/26 प.न. 26/131 मु.न. 60 कि.न. 1 ता 8 प्रत्येक में 0.253 है, कि.न. 9 में 0.101 है, कि.न. 8 के चिपते हुये कुल 8 बीघा 8 बिस्वा यानि 2.125 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 1 जगसीर सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (ख) चक 7 बी एन डब्ल्यू खाता संख्या 26/26 प.न. 26/131 मु.न. 60 कि.न. 9 में 0.152 है, कि.न. 10 के चिपते हुये, कि. न. 10 ता 16 प्रत्येक में 0.253 है, कि.न. 17 में 0.202 है. नहरी कि.न. 16 के चिपते हुये कुल 2.125 है. नहरी आराजी का वादी संख्या 2 जसवीर सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (ग) चक 7 बी एन डब्ल्यू खाता संख्या 26/26 प.न. 26/131 मु.न. 60 कि. न. 17 में 0.051 है. नहरी, कि.न. 18 ता 25 में 2.024 है. नहरी कुल 2.075 है. नहरी आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 बोहड़ सिंह को 0.489 है., प्रतिवादी संख्या 2 गुरतेज सिंह को 0.489 है. प्रतिवादी संख्या 3 भोला सिंह को 0.490 है., प्रतिवादी संख्या 4 बहादुर सिंह को 0.607 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजसव रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.9.2020 को जारी किया गया।

हवाई सिंह  
18.9.2020  
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
सादुलशहर